27647
14/11/14

anu Sehgal Stamp Vendor
Licence No.-93-/
New Court Ldh

anu Sehgal Stamp Vendor
Licence No.-93-/
New Court Ldh

SPECIAL ADHESIVE
SPECIAL ADHESIVE

शपथ-पत्र

मैं [redacted] कुमार पुत्र श्री. [redacted] कुमार वासी मकान नं. [redacted], गली नं. [redacted], टिब्बा रोड़, लुधियाना का रहने वाला हूँ| मेरी शादी 15 फरवरी, 2006 में हुई थी, मेरी पत्नी का नाम [redacted] है और मैं अपने पिता [redacted], माता [redacted], भाई [redacted] व [redacted] और बहन [redacted] के साथ रहता हूँ| हमारे तीन बच्चे हैं, बड़ी बेटी [redacted] उम्र 7-8 वर्ष, बेटा [redacted] उम्र 3-4 वर्ष और बेटा [redacted] उम्र 2 वर्ष| शादी के 4-5 महीने बाद ही से मेरी माँ, मेरी पत्नी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मन-मुटाव रहने लगा| कुछ समय बाद मेरी पत्नी की बहन [redacted]([redacted]) को हमारे यहाँ बुलाया गया और उनसे मेरे माता-पिता ने मेरी पत्नी की शिकायतें की और कहा, कि "तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ और समझाओ" जिसके बाद इस पूरे मामले पर [redacted] ने अपनी बहन([redacted]) से बातचीत की और पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया, कि "यह लोग मुझसे खुद ही छोटी-छोटी बातों पर मन-मुटाव करते रहते हैं" [redacted] ने मेरी पत्नी की पूरी बात सुनी और मेरी पत्नी को समझाया, कि "यह लोग बड़े-बुज़ुर्ग है और हमारे आदरणीय है अतः इनकी बात का बुरा मत मानो और साथ में मिलजुल कर रहो"| कुछ दिन शांत रहने के बाद मेरे परिवारवालों से फिर से मेरी पत्नी का मन-मुटाव शुरू हो गया जिसकी वजह से फिर से मेरे परिवारवालों ने चन्द्रकला को बुलाकर मेरी पत्नी की शिकायत की, आखिर परेशान होकर चन्द्रकला ने मेरे माता-पिता से कहा, कि "अगर आप लोग मेरी बहन [redacted] को नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे छोड़ दीजिये" जिसकी वजह से [redacted] ने अपने पिता झगरू को गांव से बुलवाया और मेरी पत्नी [redacted] को उनके साथ गांव फ़ैज़ाबाद, उ.प्र. भेज दिया|

मेरी पत्नी उसी वक्त सन् 2012(सितम्बर या अक्तूबर) में फैजाबाद चली गई लगभग तीन महीने बाद मैं अपनी ससुराल फैजाबाद गया वहाँ अपने ससुरालवालों से बातचीत की और उन्हें समझाया कि "आप मेरे साथ [redacted] को भेज दीजिये मैं अलग मकान लेकर स्वाती के साथ रहूँगा" जिसकी वजह से मेरे ससुरालवालों ने मेरी बात मान ली और [redacted] को मेरे साथ लुधियाना भेज दिया, मैं अपनी पत्नी को लेकर लुधियाना आ गया हमने अपने परिवार के मकान में ही एक अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया साथ ही मैंने अपने माता-पिता को यह भी बोल दिया, कि "आप लोग मेरी पत्नी से अब बातचीत नहीं करेंगे"| कुछ दिन तक तो सब ठीक-ठाक चलता रहा फिर मेरे माता-पिता के साथ दुबारा मेरी पत्नी की बहसबाजी होने लगी|

दिनांक 9.9.2014 के दिन हमारी बेटी [redacted](उम्र 7-8 वर्षीय) छत पर टी.वी. देख रही थी तभी मेरी पत्नी [redacted] ने बेटी को किसी काम के लिये आवाज लगाई पर उसने आवाज़ नहीं सुनी, तो मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर खुशी को एक-दो थप्पड़ लगा दिये जिसे देखकर मेरे पिता [redacted] ने मेरी पत्नी [redacted] को मारना पीटना शुरू कर दिया और इतनी बुरी तरह से पीटा की वो अपने आप को बचाने के लिये छत पर भागी उसके पीछे मेरे पिताजी छत पर गये और छत पर भी मेरी पत्नी को पीटना जारी रखा जिसकी वजह से मेरी पत्नी पिटाई से बचने के लिए छत से कूद गई पर ऊँचाई से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई| जब वो छत से नीचे गिरी, उस वक्त वहाँ पर मौहल्ले वाले और आस-पास के पड़ोसी भी मौजूद थे उन सभी ने यह घटना देखी| मेरी पत्नी काफी देर तक घायल अवस्था में तड़पती रही फिर घर के ही किसी सदस्य ने तरस खाकर या डरकर मुझे खबर

दी, जिसकी वजह से मैं घटनास्थल पर पहुँचा वहाँ से मैंने जल्दी-जल्दी अपनी पत्नी को रेहड़े पर लिटा कर मोहन देई अस्पताल ले गया और वहाँ दाखिल करवाया| अस्पताल में मुझे पता चला, कि मेरी पत्नी के दोनों पैर, दोनों हाथों की हड्डियाँ टूट चुकी हैं और रीड़ की हड्डी में भी गंभीर चोटें आई है|

मेरे माता-पिता भी अस्पताल आये, मेरी पत्नी के होश में आने पर यह सब लोग मेरी पत्नी से अपनी की गई गल्ती की माफी माँगने लगे और रोने लगे| यह सब देखकर मेरी पत्नी [redacted] ने मेरे परिवारवालों को माफ कर दिया| यह घटना होने के बाद मेरे माता-पिता बहुत ही अधिक घबरा गये हैं और उन्हें यह समझ आ गया है, कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से माता-पिता ने मेरी पत्नी से रोते हुये माफी माँगी है और कहा, कि "आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा"| मेरी पत्नी लगभग अपंग स्थिती में पहुँच चुकी है, वह अब आम इन्सान के समान अपना जीवन व्यतीत करने की स्थिती में नहीं है, पत्नी को हमेशा किसी न किसी सहारे की आवश्यकता रहेगी| वैसे तो, हमारे परिवार में हम तीन भाई होने की वजह से हरेक के हिस्से में बँटवारे में एक-तिहाई का हिस्सा आता है मगर माता-पिता के जीवित रहते 4 हिस्से होने चाहिये इस हिसाब से माता-पिता के जीवित रहते मुझे 4था हिस्सा तो मिलना ही चाहिये| मेरी पत्नी के सही-सलामत रहने की स्थिती में यह 4था हिस्सा मुझे व मेरी पत्नी व बच्चों को किसी भी हालत में मिलता जरूर, मगर मेरे माता-पिता द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत की वजह से मेरी पत्नी आज सहारे की मोहताज हो गई है| अतः मेरे माता-पिता ने अपनी गलती को स्वीकारते हुये और अपनी जिम्मेदारी समझते हुये मेरे गांव की कुल पारिवारिक संपत्ति का 25% मेरी पत्नी के नाम करने का निश्चय किया है और शहर के मकान का 25% भाग मेरी पत्नी के नाम पर करने के लिये इसलिये तैयार हो गये क्योंकि उनकी वजह से मेरी पत्नी आज अपंग स्थिती में पहुँच चुकी है|

यह सारी संपत्ति मेरी पत्नी के नाम पर इसलिये की जा रही है क्योंकि आज मेरी पत्नी की जो शारीरिक व मानसिक स्थिती हो गई है उसकी वजह से कहीं कल मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री से शादी न कर लूँ मगर मैं अपने बच्चों की परवरिश पर किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो ऐसी व्यवस्था भी चाहता हूँ इसलिये मैं यह पूरी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम ना करके अपने तीनों बच्चों के नाम करना चाहूँगा मगर मेरे बच्चों को कोई बहकाकर संपत्ति का गलत उपयोग ना कर ले इसलिये अपनी पत्नी [redacted] को इस संपत्ति का संरक्षक बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी पत्नी के जीवित रहते इस संपत्ति को मेरी पत्नी की मर्जी के बिना बेचा ना जा सके| अगर मेरी पत्नी, बच्चों के नाम की गई इस संपत्ति को बेचना चाहेगी तो उस लेनदेन में [redacted] के मायके वालों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति को अवश्य उपस्थित रहना होगा अगर स्वाती के मायके की तरफ से कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उस लेनदेन को मान्य नहीं किया जायेगा(क्योंकि स्वाती आज मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग स्थिती में है, अतः उसके कोई भी ससुराल-पक्ष का व्यक्ति बहकाकर अंगूठा लगवा सकता है)| [redacted] के ससुरालवालों की तरफ से तबतक [redacted] के ईलाज के लिये इन्तजाम व खर्चा किया जाता रहेगा जबतक स्वाती पूरी तरीके से चलने-फिरने की स्थिती में नहीं आ जाये या डॉक्टर जबतक जवाब नहीं दे देते, कि "अब स्वाती को ठीक नहीं किया जा सकता"| संगठन भी दूसरे NGO की मदद से पूरी कोशिश करेगा स्वाती के ईलाज में होने वाले खर्चे का इन्तजाम करवाने में|

अगर मेरी पत्नी चाहेगी, तो संपत्ति से होने वाले कमाई के हिसाब-किताब की देखभाल मैं अपनी पत्नी की मर्जी से करूँगा| मैं चाहूँगा, कि मेरी पत्नी व बच्चों के नाम से की जाने वाली संपत्ति की कमाई का 50% बैंक में लगातार जमा करवाया जाता रहे जिसमें से केवल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या बड़ी आर्थिक शैक्षणिक जरूरत के समय ही मेरी पत्नी की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सके, इसके अलावा बाकी बची आधी कमाई पर मेरी पत्नी का पूरा हक होगा और वह उसमें से अपनी मर्जी से खर्चा कर सकने की अधिकारी होगी इसके अलावा घर का खर्चा चलाने व बच्चों की शैक्षिक जिम्मेदारी पर मैं खर्च करूँगा क्योंकि मेरे माता-पिता के द्वारा ही पत्नी इस हालत में पहुँची है इसलिये जब तक मेरी पत्नी चलने-फिरने व बिना मदद के घर के सारे कार्य करने की स्थिती में नहीं पहुँच जाती तब तक उस पर किया जाने वाला दवा का सारा खर्चा मेरे पिता को उठाना होगा जैसा कि मेरी माँ और बहन ने जिम्मेदारी ली है कि उनकी वजह से मेरी पत्नी [redacted] की यह स्थिती हुई है अतः वे जब तक मेरी पत्नी [redacted] खुद के बलबूते पर चलने-फिरने लायक नहीं हो जाती तबतक वे उसकी व उसके बच्चों के खाने-पीने की व आवश्यक घरेलू कार्य जैसे - झाड़ू-पोंछा, साफ-सफाई, कपड़े धोना आदि कार्य करेंगे| मेरी पत्नी [redacted] के साथ राज़ीनामे के अनुसार उचित व्यवहार हो रहा है या नहीं इसकी जाँच के लिये शुरू के दो महीने हर सप्ताह मेरी पत्नी [redacted] के मायके वालों की तरफ से कोई ना कोई [redacted] के पास आकर उसकी कुशलक्षेम पूछते हुये एक डायरी में हस्ताक्षर करवाकर लिया करेगा व [redacted] से फोन पर मायके वालों की बात भी करवा देगा अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले छः महीने तक 15-15 दिन में यही सिलसिला जारी रखा जायेगा| आगे भी परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो छः महीने के बाद हर महीने यह सिलसिला जारी रखा जायेगा इसके बाद तीन-तीन महीने में कुशलक्षेम पूछी जायेगी अगर इस दौरान कभी भी ऐसा लगा कि मेरी पत्नी [redacted] के साथ मेरे परिवारवालों

माता-पिता या बहन द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, साथ ही खाना-पीना भी समय पर नहीं दिया जा रहा है तो CCTV Camera स्वाती के कमरे व आने जाने वाले दरवाजे के पास लगवाया जायेगा जिससे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ इसका पता चल सके अगर मेरी पत्नी [redacted] की कही गई शिकायतें सही पाई गईं तो मेरे माता-पिता द्वारा एक नौकरानी लगवाई जायेगी जो पूरे घर की साफ-सफाई, खाना-पीना, कपड़े धोना आदि कार्य करेगी|

मेरे पिता जी को अपनी कुल संपत्ति का शपथ-पत्र देना होगा जिसके अनुसार ही गांव का व शहर(लुधियाना का घर) का बँटवारा किया जायेगा अगर भविष्य में सबूत के साथ पता चलता है, कि कुछ ऐसी संपत्ति जो मेरे माता-पिता के पास है मगर उन्होंने उसे शपथ-पत्र में दर्ज नहीं किया है तो उचित जुर्माने के साथ उस हिस्से में से भी 25% मेरे बच्चों के नाम करना होगा|

मैं जानता हूँ, कि मेरी पत्नी [redacted] इस हालत में नहीं है, कि संपत्ति के सारे बँटवारे की देखरेख अपनी निगरानी में कर सके और आवश्यक कागजात तैयार करवा सके इसलिये मेरी पत्नी [redacted] अपने भरोसेमंद(भाई, पिताजी, बहन, जीजा जी आदि) को Power of Attorney देकर सारा बँटवारा करवाते हुये बँटवारे के कागजात तैयार करवा सकती है|

मैं ऊपर लिखी सारी बातों को पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध हूँ और अगर मैं उसमें असफल रहा तो समझा जायेगा कि मैंने अपनी पत्नी [redacted] के साथ धोखाधड़ी की है और मैं व मेरे परिवार के सभी जिम्मेदार लोग(माता-पिता, भाई व बहन) सज़ा के हक़दार होंगे| अगर मैं ऊपर लिखी सारी शर्तों को पूर्ण करता हूँ तो मेरी पत्नी स्वाती भी मेरे माता-पिता व भाई के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी|

मैं ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ|

हस्ताक्षर

पहचान-पत्र - अधारकार्ड नं: 6764 5999 9467

[redacted] कुमार

हम सभी लोग बँटवारे से संबंधित ऊपर लिखित बातों को मानते हैं और उसे पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध हैं जिसे किसी भी हालत में 15 दिन के अन्दर पूरा करेंगे|

हस्ताक्षर

पहचान-पत्र - Adhaar No : 9304 7558 4323

[redacted] कुमार

गवाह :

क्र.	*नाम*	*पता*	*मोबाईल नं.*	*हस्ताक्षर*
1.	[redacted] कुमार	# [redacted] St No- [redacted]		

पहचान-पत्र - Aadhaar No : 5853 7040 1065

2. [redacted] कुमार (पहचान पत्र) अधार कार्ड नं: 6098 1676 3598

~~पहचान-पत्र~~ # [redacted] St.No- [redacted]

3. [redacted] मौर्य #

पहचान-पत्र -

4.	प्रदीप मौर्य	H.No-247 St.No-2 Gulabi Bagh LDH	Pardeep Kumar
5.	मुकेश ठाकुर	H.No-14060 St.No-2 Tibba Road LDH	मुकेश ठाकुर
6.	संजय कुमार	H.No-13865 St.No-2 Ramesh Nagar LDH	Sanjeet Kumar
7.	राजेश कुमार	#12839 St.No 3 Geeta Nagar	Rajesh
8.	त्रिवेनी प्रसाद मौर्य	# St No 1 IQBAL Nagar Taj Pur Road	त्रिवेनी प्रसाद मौर्य
9.	रघुराज मौर्य		
10.	हरि राम यादव	#453 St No-3 New Gulabi Bag.	Hari Ram
11.	चन्द्रभान वर्मा		
12.	श्रीराम मौर्य		
13.			
14.			